कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी) की बैठक सं0 31/2000 दिनांक 10-3-2000 को सायं 4.00 बजे सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक (वित्त) जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1- श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) बीपीसी-II(सीपीसी) की बैठक सं0 30/2000 दिनांक 6-3-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

(2) विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

2.1- एजेण्डा सं0 31/2000-1 :- न्यूपिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महेश नगर (जोन बी-2) :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र में भूखण्ड सं0 203 बी के नाप मौके के नाप के अनुसार अंकित कर दिए जाये तथा उसके अनुसार आवंटन-पत्र जारी किया जाये । बढ़े हुए क्षेत्र की राशि इस संबंध में जारी आदेशो के अनुसार ली जाये ।

2.2- एजेण्डा सं0 31/2000-2 :- तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ओम नगर (जोन बी-2) :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा एजेण्डा प्रस्तुत किया गया तथा बताया

...2

गया कि पुरानी मीटर गेज रेलवे लाइन के मध्य से 150 फिट छोड़कर भूखण्ड स्थित है तथा इन भूखण्डों (भूखण्ड सं0 3, 4,5,10,11,12, 17,18,19, 26,27,28, 70ए, 32 से 42) की गहराई मौके के अनुसार 60 फिट है जबकि मानचित्र में यह 46 फिट दर्शायी गयी है। प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त जोन बी-2 द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मानचित्र में 46 फिट के स्थान पर 60 फिट पढ़ा जाये तथा 150 की दूरी मीटरगेज रेलवे लाईन के मध्य से ही रखी जाय।

2•3- एजेण्डा सं0 31/2000-3 :- न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महेश नगर (जोन बी-2) :-

उपायुक्त जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर विचार-विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र में भूखण्ड सं0 ए-157 के नाप मौके के नाप के अनुसार अंकित कर दिए जाय तथा उसके अनुसार आवंटन पत्र जारी किया जाये। बढ़े हुए क्षेत्र की राशि इस सम्बन्ध में जारी आदेशो के अनुसार ली जाये।

2•4- एजेण्डा सं0 31/2000-4 :- जलमहल सहकारी समिति की योजना अंगिरा नगर (जोन बी-2) :-

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम•पी•) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 119 के सम्बन्ध में त्रुटि को सुधार लिया जाये।

2•5- एजेण्डा सं0 31/2000-5 :- गुलाब बाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूरज नगर (ईस्ट सिविल लाईन) (जोन ए-1) :-

उपायुक्त जोन ए-1 के एजेण्डा एवं प्रार्थी श्री रामनिवास शर्मा (भूखण्ड सं0 109) व श्री जयदयाल शर्मा (भूखण्ड सं0 108) के प्रार्थना पत्र पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि मौके की स्थिति एवं समिति द्वारा दिए गए साइट प्लान के अनुसार भूखण्ड सं0 109 का वरपेटा 110 के साथ स्वीकृत किया जाता है। भूखण्ड सं0 111 कार्नर का भूखण्ड होने के कारण मौके की स्थिति के अनुसार चारो तरफ 10 फिट सैट बैक छोड़ना होगा जिसके कारण निर्मित क्षेत्र कम हो जाता है। अतः समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 111 में भूखण्ड सं0 110 की ओर साइड सैट बैक 10 फिट के स्थान पर 5 फिट रखा जाये।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)

25

क्रमांक: एफ-11§14§जविप्रा/वननि/सीपी/31/2000/डी- 104
दिनांक : 16-3-2000

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक§आयोजना§/§वित्त§/§विधि§/§अभियांत्रिकी§ जविप्रा, जयपुर ।
4- अति0 आयुक्त§भूमि एवं योजनाएं§ जविप्रा, जयपुर ।
5- वरिष्ठ नगर नियोजक§एम॰पी॰§ जविप्रा, जयपुर ।
6- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/ सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1 एवं बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
7- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव
बीपीसी-11§सीपीसी§
जविप्रा, जयपुर ।